



छ.ग. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कबीरधाम
C/O कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
ग्राम एवं पोस्ट – महाराजपुर, तहसील – बोडला, कवर्धा-491995
 ई-मेल: poly_kabirdham@rediffmail.com
 वेब साइट : www.gpkabirdham.ac.in



GENS/ 32557 /2026-SECTION- GOVT. POLYTECHNIC KABIRDHAM

DATE 17 / 06 / 2026

// आदेश //

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/तक.शि./बजट/476, नया रायपुर दिनांक 31/01/2017 के फीस रिफार्म संबंधी जारी निर्देश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के **प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर (लेटरल)** में प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा निम्नानुसार शासकीय/अशासकीय शुल्क देय होगा।

क्र.	फीस का विवरण	प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर (लेटरल) के छात्रों हेतु	प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर (लेटरल) के छात्राओं हेतु
1	शिक्षण शुल्क	5000.00	निरंक
2	अशासकीय शुल्क	—	—
	अवधान निधि (एक बार)	1000.00	1000.00
	ए.एफ. शुल्क	1500.00	1500.00
3	विश्वविद्यालयीन क्रीड़ा शुल्क	250.00	250.00
4	विद्यार्थी स्थानांतरण शुल्क (एक बार)	75.00	75.00
	प्रवेश के समय देय कुल शुल्क	7825.00	2825.00
5*	नामांकन शुल्क बिना माइग्रेशन	1500.00	1500.00
6*	नामांकन शुल्क माइग्रेशन के साथ	2000.00	2000.00
7*	परीक्षा शुल्क	1151.00 प्रति सेमेस्टर	1151.00 प्रति सेमेस्टर

* क्रमांक 5 से 7 में उल्लेखित फीस का विवरण को छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं ऑन – लाइन के माध्यम से CSVTU Bhilai को समय-समय पर भुगतान करना होगा। विगत वर्ष (2025-26) में छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा शुल्क रु 1151/- जमा किया गया है।

नोट: – शिक्षण शुल्क की राशि प्रतिपूर्ति हेतु छात्रों को अनिवार्यतः निर्धारित प्रपत्र में आदिम जाति कल्याण विभाग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ ऑन-लाईन आवेदन करना होगा। उक्त विभाग से शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त होने पर शिक्षण शुल्क की राशि का भुगतान लेखा अनुभाग में करना होगा। आवेदन न करने पर/आवेदन अमान्य होने पर पूर्ण शिक्षण शुल्क का वहन/भुगतान छात्र को स्वयं करना होगा।

प्राचार्य
छ.ग. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कबीरधाम

प्रतिलिपि :- निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विभागाध्यक्ष (EE, ET&T, CSE, CDDM, 1st Year) को सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
2. लेखा शाखा शासकीय पॉलीटेक्निक कबीरधाम (छ.ग.)।
3. प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति शाखा।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट।
5. प्रभारी अधिकारी एस.बी.आई. कलेक्ट/केशलेश कार्य को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।